10 रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालयः समक्ष राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र.क्र. निग/ /प्रथम/2016 निग – 3274 – I/16

(1) सतनाम सिंह पुत्र
श्री कश्मीर सिंह जाट सिख
निवासी ग्राम कलारना,
तहसील एवं जिला–श्योपुर (म.प्र.)

दिवाकर दीक्षित 23.9.16 को

23.9.16

दिवाकर दीक्षित - अभि.
23/9/16

............आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

(1) म0प्र0 शासन द्वारा तहसीलदार
तहसील श्योपुर (म.प्र.)

............अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध खसरे में अमल करवाने बावत्, आवेदन दिनांक 08/07/2016 पर तहसीलदार श्योपुर द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने से व्यथित होकर

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन निम्न प्रकार प्रस्तुत है

1. यह है कि आवेदक के हित में तहसीलदार श्योपुर द्वारा दिनांक 30/11/2004 को आदेश पारित किया है। परन्तु

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3274–एक / 2016 जिला–श्योपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
03–8–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार तहसील श्योपुर के आदेश दिनांक 8.7.16 में कोई कार्यवाही नहीं किये जाने बावत एवं खसरे में अमल कराने बावत यह निगरानी म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–आवेदक के अधिवक्ता एवं शासन के पैनल अधिवक्ता के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि आवेदक अधिवक्ता द्वारा आवेदक के हित में तहसीलदार श्योपुर द्वारा दिनांक 30.11.04 को आदेश पारित किया है लेकिन उनके द्वारा उक्त आदेश का राजस्व अभिलेख में अमल नहीं किया गया है। 3–प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक को इस हेतु कलेक्टर जिला श्योपुर के न्यायालय में कार्यवाही करनी थी न कि इस न्यायालय में। आवेदक अधिवक्ता तहसीलदार द्वारा आदेश का पालन नहीं किये जाने के कारण एवं राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज नहीं होने के संबंध में वह कलेक्टर श्योपुर के न्यायालय में अपनी कार्यवाही कर सकते हैं। यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होने के कारण अग्राह की जाती है। सदस्य	